12.47 hrs.

STATEMENT RE. MANUFACTURE OF SCOOTER IN PUBLIC SECTOR

औद्योगिक विभास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है कि सरकार ने गत वर्ष स्कूटर निर्माण करने के लिए एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में लगाने का निर्णय किया था और एक उच्च शक्ति सम्पन्न तकनीकी विशेषज्ञों के दल की नियुक्ति यह देखने के लिए की थी कि क्या इसके लिये एक देशी नमूना तथा उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना सम्भव है। विशेषज्ञों की इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सरकार ने उसकी जांच की है। समिति ने यह सिफारिश की है कि दो पारी के आधार पर प्रारम्भ में 1,00,000 स्कूटर प्रति वर्ष निर्माण करने के लिये जिसमें विस्तार की पहले ही व्यवस्था की गई हो, सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना की स्थापना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक है किन्तु उनका कथन है कि स्कूटर का देशी कोई नमूना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। समिति के अनुसार स्कूटर के नये नमूने को प्रारम्भ से तैयार करने में लगभग 4 से 5 वर्ष लगेंगे और फिर परियोजना के आयोजन तथा उसके कार्यान्वियन में तीन वर्ष और लगेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि ऐसी सफल परियोजना की स्थापना के लिये जिसके स्कूटर देश तथा विदेश की मण्डियों में बिक सकें यह आवश्यक है कि समूचे विश्व में विद्यमान नमूने में से सबसे अच्छे नमूने का चयन किया जाये।

इस समय देश में पहले ही स्कूटरों की अत्याधिक मांग है और यह प्रतिदिन बढ़ रही है। निर्यात की भी अच्छी सम्भावनाएं हैं। अतः यह वांच्छनीय नहीं कि इस बड़ी तथा बढ़ती हुई मांग के लिये पूर्णरूपेण देशी नमूने के विकास के लिये वर्षों प्रतीक्षा की जाये।

इसी कारण सरकार ने यह निश्चय किया है कि प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र की परियोजना में किसी परीक्षित विदेशी नमूने के स्कूटर का निर्माण किया जाये जिससे कि उत्पादन को बिना विलम्ब आरम्भ किया जा सके।

इसी आधार पर स्कूटरों के निर्माण के लिये एक उपयुक्त नमूने के चयन के लिये पग उठाये जा रहे हैं ताकि सरकारी क्षेत्र में यथा सम्भव शीघ्रता से स्कूटरों के निर्माण को आरम्भ किया जा सके।

———

12.50 hrs.

ADVOCATES (SECOND AMEND MENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO) : Sir, I big to move :

> "That this House recommends to Rajya Sabha that Rajsa Sabha do agree to leave being granted by this House to withdraw the Bill further to amend the Advocates Act, 1961, which was passed by Rajya Sabha on the 16th December, 1968 and laid on the Table of this House on the 18th February, 1969."

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाते हुए कहना चाहता हूं कि यह विधेयक राज्य सभा से पारित हो चुका था। राज्य सभा से पारित होने के बाद यह लोकसभा में आया। यहां से यह प्रवर समिति को चला गया। प्रवर समिति की बैठक हुई और गवाहियाँ आदि की गई। मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विधि मंत्रालय इतना निष्क्रय और गाफिल हो गया है कि उस को यह पता ही नहीं है कि विधेयक को वापिस